न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

मि0न0 02/प्रा0पत्र/18

कंचनबाई पत्नि मांगीलाल मीणा नि0 ग्राम भदकडी तहसील खानपुर,हाल मकान न0 2 ए गली न0 6 सरस्वती कॉलोनी बारां रोड़ कोटा जरिये मुख्तार आम रामदयाल आ0 मांगीलाल मीणा नि0 ग्राम भदकडी तहसील खानपुर,हाल मकान न0 2 ए गली न0 6 सरस्वती कॉलोनी बारां रोड़ कोटा

बनाम

01. बजरंगलाल आ0 प्रताप मीणा नि0 भदकडी तहसील खानपुर
02. धन्नालाल आ0 प्रताप मीणा नि0 भदकडी तहसील खानपुर
03. जयराम आ0 प्रताप मीणा नि0 भदकडी तहसील खानपुर
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर

प्रार्थना पत्र बाबत सुनवाई हेतु ट्रांसफर करेन मुकदमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर से अन्य किसी भी न्यायालय में बउनवान कंचनबाई बनाम बजरंगलाल मिसल न0 452/16.

22/1/18 प्रार्थी रामदयाल मुख्तार आम कंचन बाई द्वारा प्रा0पत्र बाबत सुनवाई हेतु ट्रान्सफर करने मुकदमा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर से अन्य किसी भी न्यायालय में बउनवान कंचनबाई बनाम बजरंगलाल वगै0 मिसल न0 452/16 प्रस्तुत किया गया है। प्रा.पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)राज0टी0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर में प्रस्तुत किया जाने पर अप्रार्थीगण की तलबी के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में तहसीलदार खानपुर से मौका रिपोर्ट चाही गई दिनांक 06.04.2017 से 24.10.2017 तक पत्रावली मौका रिपोर्ट तलब करने में ही चली आ रही है। अंकन किया गया है कि ऐसा अन्देशा है कि उपखण्ड अधिकारी खानपुर प्रतिवादीगण से मिल चुके हैं व जानबूझ कर तहसीलदार खानपुर से मौका रिपोर्ट नही मंगवाई जा रही न ही इस सम्बन्ध में तहसीलदार खानपुर के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही न्यायालय के आदेश की पालना न करने बाबत की गई है।

हमने प्रस्तुत प्रा0पत्र व सलंग्न आदेशिका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर दिनांक 04.10.2016 से 04.10.17 की छाया प्रति का अवलोकन किया प्रकरण में दिनांक 23.03.2017 से तहसीलदार खानपुर से मौका रिपोर्ट चाही जा रही है, उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा पंत्राक 494/23.03.2017,707/20.04.2017,1160/03.08.2017 व 1272/12.09.2017 से लगातार तहसीलदार खानपुर से मौका रिपोर्ट चाही जा रही है बावजूद तहसीलदार खानपुर द्वारा रिपोर्ट नही भिजवाये जाने के प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)राज0टी0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर में विचाराधीन चल रहा है। यहां हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि प्रस्तुत प्रा0पत्र एक समरी ट्रायल है जिसका इतने समय तक निस्तारण ना करना समझ से परे है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व न्यायहित में प्रा0पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी खानपुर प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर में उपस्थित होने बाबत अवगत कराते हुए प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रा0पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़